

डॉ० तृप्ता ठाकुर, कुलपति, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 05.10.2026 को विश्वविद्यालय सभागार कक्ष में सम्पन्न 28वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त :-

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की 28वीं वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

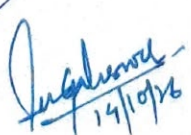
01	डॉ० तृप्ता ठाकुर, कुलपति, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
03	श्री सौरभ गहरवार, अपर सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। (Online)	सदस्य
04	श्री खजान चंद्र पाण्डे, अपर सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
05	श्री अश्विनी गौड़, अपर सचिव न्याय, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
06	प्रो० संतोष कुमार हम्पन्नावर, निदेशक, विपिन त्रिपाठी कुमांउ प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, अल्मोड़ा (Online)	सदस्य
07	डॉ शरद प्रधान, निदेशक, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान सुद्धौवाला देहरादून (Online)	सदस्य
08	डॉ० राजेश उपाध्याय, कुलसचिव, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
09	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य सचिव

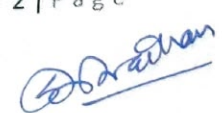
सर्वप्रथम मा० कुलपति महोदया द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई तथा वित्त समिति द्वारा एजेण्डावार चर्चा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

एजेण्डा	एजेण्डाबिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	28वीं वित्त समिति का निर्णय
बिन्दु संख्या (28.01)	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 27वीं वित्त समिति की कृत कार्यवाही की पुष्टि।	-	वित्त समिति द्वारा 27वीं की कृत कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया गया एवं निम्न 02 एजेण्डा बिन्दुओं पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया :- (27.09) महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून में नियमित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार मकान किराया भत्ता भुगतान के प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

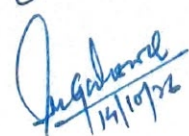
			28वीं वित्त समिति द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को छठवें वेतन आयोग सिफारिश के अनुसार (एरियर सहित) मकान किराया भत्ता की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाये एवं 07वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मकान किराया भत्ता की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु पुनः सुस्पष्ट प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। (27.16) :- THDC-IHET Tehri एवं IIT Roorkee के मध्य हुये एम0ओ0यू0 के क्रम में टिहरी संस्थान में Smart Manufacturing Lab की स्थापना हेतु 27वीं वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 3.00 करोड़ की धनराशि व्यय किये जाने हेतु प्राप्त अनुमोदन के क्रम में IIT Roorkee से पर्याप्त सहयोग प्राप्त न होने के कारणवश ₹ 3.00 करोड़ की धनराशि THDC-IHET Tehri संस्थान के पास उपलब्ध धनराशि से व्यय किये जाने हेतु 28वीं वित्त समिति द्वारा पुनः अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या (28.02)	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में Rewiring of AI Lab/Server Room at VMSBUTU, Dehradun की स्थापना हेतु अनुमानित ₹ 35.00	विश्वविद्यालय के AI Lab/Server Room में शार्टसर्किट के कारण विद्युत वायरिंग एवं केबलिंग का एक बड़ा भाग लगकर क्षतिग्रस्त हो	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 का अनुपालन करते हुये Rewiring of AI Lab/Server Room at VMSBUTU, Dehradun की

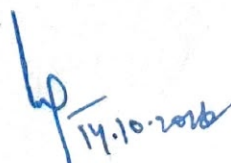




	लाख (रु0 पैतीस लाख मात्र) की धनराशि विश्वविद्यालय निधि से व्यय किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	गया है। वर्तमान में उक्त विद्युत वायरिंग एवं केबलिंग उपयोग की स्थिति में नहीं है। AI Lab/Server Room में स्थापित सर्वर ,नेटवर्किंग उपकरण एवं अन्य संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित एवं सुचारु संचालन के लिए उचित एवं सुरक्षित विद्युत व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। अतः इस प्रयोजन हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	स्थापना हेतु ₹ 35.00 लाख (रु0 पैतीस लाख मात्र) की धनराशि विश्वविद्यालय निधि से व्यय किये जाने हेतु इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि इस कार्य हेतु टी0ए0सी0 करा ली जाये।
बिन्दु संख्या (28.03)	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न सुक्ष्म/लघु सिविल/इलेक्ट्रीकल मरम्मत/अनुरक्षण कार्य के सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय निधि से अनुमानित ₹ 91.12 लाख (रु0 इक्कानवें लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों के सूचारु सम्पादन हेतु प्रशासनिक भवन ,महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, एन0सी0सी0 बिल्डिंग, डिशपेंशनरी, फैंकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी भवन, मा0 कुलपति महोदया के कैम्प कार्यालय में विभिन्न सिविल एवं इलेक्ट्रीकल कार्यों के सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय निधि से रु0 ₹ 91.12 लाख (रु0 इक्कानवें लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु पूँजीगत मदों प्राविधानित बजट के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी । वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि 27वीं वित्त समिति में 06-विकास मदों में (विभिन्न निर्माण कार्य) में व्यय हेतु ₹ 16.71 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक ₹ 2.87 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है एवं ₹ 13.84 करोड़ की धनराशि व्यय हेतु अवशेष है। वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत विभिन्न सुक्ष्म/लघु सिविल/इलेक्ट्रीकल मरम्मत/ अनुरक्षण कार्य के सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय निधि से अनुमानित ₹ 91.12 लाख (रु0 इक्कानवें



14/10/22



14.10.2022



			लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-25 / Gem पोर्टल के नियमों का अनुपालन किये जाने की शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या (28.04)	मा0 कुलपति महोदया द्वारा पूर्व से प्रयोग किये जा रहे अपने निजी पोस्टपेड देयकों के भुगतान हेतु ₹ 800.00 मासिक रूप से मा0 कुलपति महोदया को स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	मा0 कुलपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों हेतु अपना निजी मोबाईल प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु मा0 कुलपति महोदया को ₹ 800.00 मासिक रूप से भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा मा0 कुलपति महोदया द्वारा प्रयोग किये जा रहे एक निजी मोबाईल के देयकों की वास्तविक धनराशि का भुगतान मासिक रूप से विश्वविद्यालय निधि से किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या (28.05)	26वीं वित्त समिति के एजेण्डा बिन्दु संख्या 26.20 पर प्राप्त 03 वरिष्ठ सलाहकार एवं 07 कनिष्ठ सलाहकार नियुक्त किये जाने हेतु प्राप्त अनुमोदन पर पुनः निम्नानुसार संशोधित/पुनर्विचार का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। विश्वविद्यालय में अनुबंध के आधार पर नितांत अस्थाई व्यवस्था के रूप में 10 परामर्शी/कंसलटेंट जिसमें 05 वरिष्ठ सलाहकार (मानदेय ₹ 1,20,000/- मासिक) एवं 05 कनिष्ठ सलाहकार (मानदेय ₹ 80,000/- मासिक) की नियुक्ति का प्रस्ताव	वरिष्ठ कंसलटेंट अपने अधिक अनुभव एवं विशेषताओं के कारण जटिल विषयों का विश्लेषण नीतिगत सुझाव प्रदान करना, स्वतंत्र रूप से कार्यों का निष्पादन तथा विभिन्न हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तीव्रता तथा त्रुटियों में कमी सुनिश्चित होती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विभागीय कार्यों की प्रकृति एवं आवश्यकताओं की जटिलता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में 05	प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत 04 वरिष्ठ सलाहकार एवं 06 कनिष्ठ सलाहकार की सेवायें Project Management Unit (PMU) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली प्रक्रियानुरूप लिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। * ● 04 वरिष्ठ सलाहकार (अधिकतम मानदेय ₹ 1,20,000/- मासिक) ● 06 कनिष्ठ सलाहकार (अधिकतम मानदेय ₹ 80,000/- मासिक)

महोदय, बिन्दु में 28.05 में अनुमोदन है कि " वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सलाहकार की नियुक्ति जिसे आवश्यक है लिये अधिप्राप्ति की जाए, उक्त आवेदन को एप्लू से दिखे जाये। "

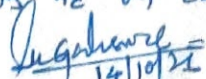
(Handwritten signatures and dates follow)

	वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वरिष्ठ सलाहकार एवं 05 कनिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है। • 05 वरिष्ठ सलाहकार (मानदेय ₹ 1,20,000/- मासिक) • 05 कनिष्ठ सलाहकार (मानदेय ₹ 80,000/- मासिक)	
बिन्दु संख्या (28.06)	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न Paid कार्यक्रमों हेतु संसाधन व्यक्तियों के मानदेय की अधिकतम सीमा में संशोधन का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। कार्यक्रम हेतु स्वीकृत कुल अनुदान में Resource Persons के देय मानदेय की अधिकतम सीमा 20 हजार से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Resource Person shall be ₹5,000 per lecture, subject to a minimum lecture duration of one hour. There shall not be more than four lectures in a day." In case a third-party organization/company/institute is engaged as a Resource Agency for conducting an FDP/ Programme, the prescribed ceiling of ₹5,000 per lecture for individual Resource Persons may be relaxed. The engagement of such agency and payment thereof shall be governed by the applicable procurement and	वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरान्त प्रति व्याख्यान ₹ 5000/- (अधिकतम ₹ 20000/-), इस प्रयोजन हेतु प्राप्त कुल आय की अधिकतम 30 प्रतिशत के आधीन मानदेय भुगतान हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।





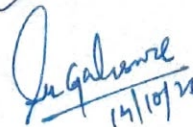

मध्याह्न बिन्दु में 28.06 के अनुमोदन है कि (अधिकतम ₹ 20000/-) को लाने
 वरिष्ठ मानदेय वरिष्ठ मानदेय के लिए 04 व्याख्यान हेतु कुल
 कम है।



5 | Page
 14.10.2022

		financial rules of the University. However, the total expenditure incurred on such Resource Agency(s)/individual Resource Persons shall not exceed 30% of the total sanctioned grant earmarked for Honorarium to Resource Persons. The overall expenditure on the Programme shall, in all cases, remain within the total amount sanctioned by the University. कार्यक्रम हेतु स्वीकृत कुल अनुदान में Resource Persons के देय मानदेय की अधिकता सीमा 20 हजार से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	
बिन्दु संख्या (28.07)	विश्वविद्यालय की चयन समिति, स्क्रीनिंग समिति एवं दीर्घ अवधि वाली अन्य समितियों के विशेषज्ञों के मानदेय की दरों में संशोधन का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	चयन समिति एवं स्क्रीनिंग समिति के अतिरिक्त अन्य समितियों की बैठक को दीर्घ अवधि वाली बैठक तभी माना जाएगा, जब बैठक क अवधि/आवश्यकता का निर्धारण मा0 कुलपति महोदय द्वारा पूर्व	प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत ₹ 10,000/- (रु0 दस हजार मात्र) प्रति बैठक/दिवस की दर से मानदेय भुगतान हेतु सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।





14/07/22






14.10.2026

	निम्नलिखित श्रेणी के विशेषज्ञों को ₹ 10,000/- (रु0 दस हजार मात्र) प्रति बैठक/दिवस की दर से मानदेय प्रदान किया जाना प्रस्तावित है 01. भारत के विश्वविद्यालयों के कुलपति। 02. IITs/NITs के निदेशक अथवा समकक्ष पदाधिकारी। 03. Director General अथवा समकक्ष अधिकारी। 04. राज्य सरकार में सचिव तथा केन्द्र सरकार में उनके समकक्ष अथवा Pay Level- 14 या उससे उच्च स्तर के समकक्ष अधिकारी। 05. प्रोफेसर अथवा Level- 14 या उससे उच्च स्तर के समकक्ष शैक्षणिक पदाधिकारी।	अनुमोदित किया गया है। चयन समिति एवं स्क्रीनिंग समिति को छोड़कर अन्य किसी भी समिति अथवा बैठक में आमंत्रित विशेषज्ञों को यदि बैठक को दीर्घ अवधि वाली बैठक के रूप में पूर्व में अनुमोदित नहीं किया गया है तो रु0 5000 की वर्तमान दर से ही मानदेय देय होगा।	01. भारत के विश्वविद्यालयों के कुलपति। 02. IITs/NITs के निदेशक अथवा समकक्ष पदाधिकारी। 03. Director General अथवा समकक्ष अधिकारी। 04. राज्य सरकार में सचिव तथा केन्द्र सरकार में उनके समकक्ष अथवा Pay Level- 14 या उससे उच्च स्तर के समकक्ष अधिकारी। 05. प्रोफेसर अथवा Level- 14 या उससे उच्च स्तर के समकक्ष शैक्षणिक पदाधिकारी। उक्त मानदेय भुगतान से पूर्व विशेषज्ञों की पूर्वानुमति मा0 कुलपति महोदया से ली जानी है।
बिन्दु संख्या (28.08)	विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले Consultancy एवं Testing कार्यों पर लागू Institutional Overhead Charges की दरों में	ऐसे Consultancy कार्य जो किसी शासकीय विभाग/शासकीय संस्था द्वारा आमंत्रित Competitive Bidding	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत प्रस्तावित दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Jugalsingh
14/10/24

17.10.2024

	आई0आई0टी0 / एन0आई0टी0 की दरो के अनुसार संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। <table><tr><th>कार्य का नाम</th><th>प्रस्तावित Institutional Overhead Charges</th></tr><tr><td>Type-I Consultancy</td><td>20%</td></tr><tr><td>Type-II Consultancy</td><td>20%</td></tr><tr><td>Government Competitive Bidding /Tender Consultancy</td><td>10%</td></tr></table>	कार्य का नाम	प्रस्तावित Institutional Overhead Charges	Type-I Consultancy	20%	Type-II Consultancy	20%	Government Competitive Bidding /Tender Consultancy	10%	/Tender प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और जिनमें विश्वविद्यालय को अन्य संस्थाओं/एजेंसियों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से भाग लेना होता है, उन कार्यों के लिए कुल Consultancy शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से Institutional Overhead Charges लिए जाने का प्रस्ताव है। यह विशेष 10 प्रतिशत दर केवल Government Department /Agencies द्वारा आमंत्रित Competitive Bidding /Tender के माध्यम से प्राप्त Consultancy कार्यों पर लागू होगी।	
कार्य का नाम	प्रस्तावित Institutional Overhead Charges										
Type-I Consultancy	20%										
Type-II Consultancy	20%										
Government Competitive Bidding /Tender Consultancy	10%										
बिन्दु संख्या (28.09)	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं समस्त परिसर संस्थानों का SWOT Analysis हेतु रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि विश्वविद्यालय निधि से व्यय किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय एवं परिसर संस्थानों की वर्तमान शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय, Infrastructural, research, innovation, placement एवं अन्य संस्थागत क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए SWOT Analysis कराया जाना प्रस्तावित है। इस अध्ययन से विश्वविद्यालय एवं संस्थानों की Strengths एवं Weaknesses की पहचान, उपलब्ध Opportunities की आंकलन तथा संभावित Threats/Challenges की पहचान की जा सकेगी। इसके आधार	वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय एवं समस्त परिसर संस्थानों का SWOT Analysis कराये जाने हेतु रू0 05.00 लाख की धनराशि व्यय किये जाने हेतु इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि SWOT Analysis रिपोर्ट उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जाय।								

[Signature]

[Signature]
14/10/2024

[Signature]

[Signature]
14.10.2024

		पर भविष्य की प्लानिंग आदि की रणनीतिक कार्ययोजना तैयार करने में सहायता मिलेगी।	
बिन्दु संख्या (28.10)	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बचत की धनराशि को निवेश करने के सम्बन्ध में नीति लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :- 01. विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से अर्जित आय की बचत की स्थिति में उस राशि को इस प्रकार निवेश किया जायेगा जिससे विश्वविद्यालय को कम जोखिम में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। 02. दीर्घकालीन निवेश रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (आर0बी0आई) द्वारा अधिसूचित बैंकों की सावधि जमा राशि में किया जायेगा। 03. सावधि जमा (एफ0डी0) हेतु बैंक का चयन विश्वविद्यालय द्वारा गठित 03 सदस्यीय समिति के माध्यम से किया जायेगा। समिति द्वारा कम से कम	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बचत की धनराशि को निवेश करने के सम्बन्ध में नीति लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :- 01. विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से अर्जित आय की बचत की स्थिति में उस राशि को इस प्रकार निवेश किया जायेगा जिससे विश्वविद्यालय को कम जोखिम में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। 02. दीर्घकालीन निवेश रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (आर0बी0आई) द्वारा अधिसूचित बैंकों की सावधि जमा राशि में किया जायेगा। 03. सावधि जमा (एफ0डी0) हेतु बैंक का चयन विश्वविद्यालय द्वारा गठित 03 सदस्यीय समिति के माध्यम से किया जायेगा। समिति द्वारा कम से कम 05 बैंकों से ब्याज की दरें प्राप्त की जायेगी। 04. दीर्घकालीन निवेश की कोई भी धनराशि से व्यय करने का प्रस्ताव वित्त समिति तथा कार्यपरिषद द्वारा दो तिहाई

महोदय, बिंदु में 28.10 में अनाधिक है कि 05 बैंकों से लाभ दे स्थापित नह जायेगी बिना जो कि अनुपद में समस्त अधिकृत बैंको दे स्थापित नह जायेगी न। (अधिक नह माँ दे माँ दे दे हो जाने की बात है)

	05 बैंकों से ब्याज की दरें प्राप्त की जायेगी। 04. सावधि जमा (एफडी0) राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको तथा निजी बैंकों में करने का अनुपात लगभग 1:1 बनाये रखा जाय। 05- Non-Callable Fixed Deposit की सीमा सावधि जमा (एफडी0) के अधिकतम 80 प्रतिशत तक बनायी रखी जा सकती है। 06- दीर्घकालीन निवेश की कोई भी धनराशि से व्यय करने का प्रस्ताव वित्त समिति तथा कार्यपरिषद द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही किया जा सकेगा।		बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही किया जा सकेगा।
बिन्दु संख्या (28.11)	विश्वविद्यालय में पूर्व से स्वीकृत उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन शुल्क ₹ 3000 (रु० तीन हजार मात्र) के स्थान पर ₹ 2000.00 (रु० दो हजार मात्र) स्वीकृति किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राये अधिक शुल्क के कारणवश उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अतः छात्रहित में उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन शुल्क ₹ 3000.00 के स्थान पर ₹ 2000.00 (रु० दो हजार मात्र) स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

8.

✓

Signature
14/10/24

Signature

Signature

Signature

14.10.24

बिन्दु संख्या (28.12)	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र के Question Bank बनाये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों को निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :- • Long Answer Type with Answer - ₹ 100 Per Question • Medium/Short Answer Type with Answer ₹ 60 Per Question • Objective Type with Answer ₹ 30 Per Question	सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य को सुगम बनाये जाने हेतु Question Bank का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु दरों को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत Question Bank के निर्माण हेतु प्रश्न पत्रों का चयन देश के प्रतिष्ठित एवं ख्याती प्राप्त संस्थानों से प्राप्त किये जाने हेतु एवं प्राप्त प्रश्न पत्रों के चयन से पूर्व एक विशेषज्ञ समिति से सभी प्रश्नों की जाँच उपरांत ही Question Bank में सम्मिलित किया जाय। इस प्रयोजन हेतु प्रस्तावित दरों पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। • Long Answer Type with Answer - ₹ 100 Per Question • Medium/Short Answer Type with Answer ₹ 60 Per Question • Objective Type with Answer ₹ 30 Per Question
बिन्दु संख्या (28.13)	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फैंकल्टी ऑफ मैनेजमेंट (एफ0ओ0एम0) अन्तर्गत संचालित एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय पत्रांक 1131/वी0मा0सि0भ0उ0प्रौ0वि0वि0/एम0बी0ए0/2026-27-2026 दिनांक 13.07.2026 द्वारा लागू एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क/अन्य शुल्क प्रथम वर्ष वार्षिक ₹ 1,08,900/- एवं ₹	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फैंकल्टी ऑफ मैनेजमेंट (एफ0ओ0एम0) अन्तर्गत संचालित एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय पत्रांक 1131/वी0मा0सि0भ0उ0प्रौ0वि0वि0/एम0बी0ए0/2026-27-2026 दिनांक 13.07.2026 द्वारा लागू एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क/अन्य शुल्क प्रथम वर्ष	वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम की शुल्क की दरें लागू किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

मेधावि, जिस दि 28.12 में मुद्रित है कि direction की
 नीमा श्री Fixed हो दी जाये।
 (or Arrears)
 14/10/26

	1,07,600/- द्वितीय वर्ष हेतु लागू किये जाने के प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वार्षिक ₹ 1,08,900/- एवं ₹ 1,07,600/- द्वितीय वर्ष के लागू किये जाने के प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।																															
बिन्दु संख्या (28.14)	विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्न पदों पर बाह्यस्रोत के माध्यम से अल्प अवधि हेतु सेवायें लिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। <table><tr><th>पदनाम</th><th>पदों संख्या</th><th>मानदेय</th></tr><tr><td>विधिक सलाहकार</td><td>01</td><td>₹ 50000 मासिक</td></tr><tr><td>डॉक्टर (एम0बी0बी0एस0) 1 घंटे प्रतिदिन</td><td>01</td><td>₹ 40000 मासिक</td></tr><tr><td>स्टॉफ नर्स</td><td>01</td><td>₹ 25000 मासिक</td></tr><tr><td>काउंसलर</td><td>01</td><td>₹ 25000 मासिक</td></tr></table>	पदनाम	पदों संख्या	मानदेय	विधिक सलाहकार	01	₹ 50000 मासिक	डॉक्टर (एम0बी0बी0एस0) 1 घंटे प्रतिदिन	01	₹ 40000 मासिक	स्टॉफ नर्स	01	₹ 25000 मासिक	काउंसलर	01	₹ 25000 मासिक	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, अकादमिक, संस्थानों इत्यादि के विभिन्न विधिक विषय प्रकरणों में सहयोग हेतु पूर्व से कोई विधिक सलाहकार विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं है। विभिन्न विषयों में दिन-प्रतिदिन विधिक सलाहकार की सेवाओं की नितांत आवश्यकता प्रतीत हो रही है। साथ ही विगत वर्षों से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 1500 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत है। इन छात्रों को परिसर में ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान किये जाने हेतु एक डॉक्टर, नर्स एवं काउंसलर की नियुक्ति की जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत	वित्त समिति द्वारा बाह्यस्रोत के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सेवायें लिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। <table><tr><th>पदनाम</th><th>पदों संख्या</th><th>मानदेय (अधिकतम)</th></tr><tr><td>विधिक सलाहकार (समय 10-05)</td><td>01</td><td>₹ 50000 मासिक</td></tr><tr><td>डॉक्टर (एम0बी0बी0एस0) 2 घंटे प्रतिदिन</td><td>01</td><td>₹ 40000 मासिक</td></tr><tr><td>स्टॉफ नर्स (समय 10-05)</td><td>01</td><td>₹ 25000 मासिक</td></tr><tr><td>काउंसलर (सप्ताह में 03 दिन / आवश्यकतानुसार)</td><td>01</td><td>₹ 25000 मासिक</td></tr></table>	पदनाम	पदों संख्या	मानदेय (अधिकतम)	विधिक सलाहकार (समय 10-05)	01	₹ 50000 मासिक	डॉक्टर (एम0बी0बी0एस0) 2 घंटे प्रतिदिन	01	₹ 40000 मासिक	स्टॉफ नर्स (समय 10-05)	01	₹ 25000 मासिक	काउंसलर (सप्ताह में 03 दिन / आवश्यकतानुसार)	01	₹ 25000 मासिक
पदनाम	पदों संख्या	मानदेय																															
विधिक सलाहकार	01	₹ 50000 मासिक																															
डॉक्टर (एम0बी0बी0एस0) 1 घंटे प्रतिदिन	01	₹ 40000 मासिक																															
स्टॉफ नर्स	01	₹ 25000 मासिक																															
काउंसलर	01	₹ 25000 मासिक																															
पदनाम	पदों संख्या	मानदेय (अधिकतम)																															
विधिक सलाहकार (समय 10-05)	01	₹ 50000 मासिक																															
डॉक्टर (एम0बी0बी0एस0) 2 घंटे प्रतिदिन	01	₹ 40000 मासिक																															
स्टॉफ नर्स (समय 10-05)	01	₹ 25000 मासिक																															
काउंसलर (सप्ताह में 03 दिन / आवश्यकतानुसार)	01	₹ 25000 मासिक																															
बिन्दु संख्या (28.15)	विश्वविद्यालय के Mahindra Bolero एवं स्कोडा वाहन के निष्प्रयोज्य उपरांत ₹ 25.00 लाख (रु० पच्चीस लाख मात्र) की सीमा के अन्तर्गत 02 Electric Vehicle क्रय किये	विश्वविद्यालय को दो वर्तमान वाहनों (Mahindra Bolero एवं स्कोडा) द्वारा 1.00 लाख कि०मी० से अधिक की दूरी तय की जा चुकी है। अत्यधिक उपयोग एवं वाहनों के पुराने होने	प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया कि संबंधित Mahindra Bolero एवं स्कोडा वाहनों के निष्प्रयोज्य की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत आगामी वित्त समिति की बैठक																														

मैनेजिंग, अनुमोदन है कि बिन्दु नं० 28.14 में लेनाओं के मानदेय दिये जाने के साथ में मानदेय मिले अवधि (01/02 वित्त वर्ष) हेतु लागू एमो दो 25000 दिये जाये

12 | Page
14.10.2026

	जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	के कारण बार-बार वाहनों में यांत्रिक खराबी उत्पन्न हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के अधिकारिक परिवहन कार्य प्रभावित होने के साथ-साथ मरम्मत एवं ईंधन पर अत्यधिक व्यय हो रहा है। अतः उक्त स्थिति को देखते हुये पुराने वाहनों के निष्प्रयोज्य उपरांत 02 Electric Vehicle क्रय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
बिन्दु संख्या (28.16)	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं परिसर संस्थानों में B.Tech Working Professionals Programme के अन्तर्गत संचालित कक्षाओं हेतु फैकल्टी मेंबर्स, लैबोरेटरी स्टाफ, एवं सपोर्टिंग स्टाफ को देय पारिश्रमिक की दरें निर्धारण का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। Remuneration rates are proposed for Faculty Members, Lab. Technician and staff engaged in B. Tech Working Professional program. Faculty Members Rs. 5,000 per one-hour lecture (online or offline), including recording and transfer of copyright, for Associate Professors and above from IITs, NITs, and Institutes of National Importance. (For a maximum of 35-40 lectures per semester).	Remuneration rates are proposed for Faculty Members, Lab. Technician and staff engaged in B. Tech Working Professional program. Faculty Members - Rs. 5,000 per one-hour lecture (online or offline), including recording and transfer of copyright, for Associate Professors and above from IITs, NITs, and Institutes of National Importance. (For a maximum of 35-40 lectures per semester). - Rs. 3,500 per one-hour lecture (online or offline), including recording and	वित्त समिति द्वारा B.Tech Working Professionals Programme हेतु प्रस्तावित मानदेय की दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। Faculty Members - Rs. 5,000 per one-hour lecture (online or offline), including recording and transfer of copyright, for Associate Professors and above from IITs, NITs, and Institutes of National Importance. (For a maximum of 35-40 lectures per semester). - Rs. 3,500 per one-hour lecture (online or offline), including recording and transfer of copyright, for Associate Professors and above from Central Universities, State Universities other than UTU, and

transfer of copyright, for Associate Professors and above from IITs, NITs, and Institutes of National Importance. (For a maximum of 35-40 lectures per semester). - Rs. 3,500 per one-hour lecture (online or offline), including recording and transfer of copyright, for Associate Professors and above from Central Universities, State Universities other than UTU, and State Engineering Institutes other than UTU Campus institutes. (For a maximum of 35-40 lectures per semester.) - Rs. 1,500 per one-hour lecture (online or offline) for faculty members of UTU Campus Institutes/ Government Institutes affiliated to UTU. (For a maximum of 35-40 lectures per semester) Program Coordinator - Rs 2,000 per month, for a maximum period of six months per semester. Laboratory Staff:	transfer of copyright, for Associate Professors and above from Central Universities, State Universities other than UTU, and State Engineering Institutes other than UTU Campus institutes. (For a maximum of 35-40 lectures per semester.) - Rs. 1,500 per one-hour lecture (online or offline) for faculty members of UTU Campus Institutes/ Government Institutes affiliated to UTU. (For a maximum of 35-40 lectures per semester) Program Coordinator - Rs 2,000 per month, for a maximum period of six months per semester. Laboratory Staff: - Rs. 300 per hour in a semester. Supporting Staff: - Rs. 250 per evening in a semester when classes are conducted.	State Engineering Institutes other than UTU Campus institutes. (For a maximum of 35-40 lectures per semester.) - Rs. 1,500 per one-hour lecture (online or offline) for faculty members of UTU Campus Institutes/ Government Institutes affiliated to UTU. (For a maximum of 35-40 lectures per semester) Program Coordinator - Rs 2,000 per month, for a maximum period of six months per semester. Laboratory Staff: - Rs. 300 per hour in a semester. Supporting Staff: - Rs. 250 per evening in a semester when classes are conducted. साथ ही विश्वविद्यालय को यह भी निर्देशित किया गया कि इन पाठ्यक्रमों के संचालन में आने वाले व्यय को आय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय।
--	---	--

[Signature]

[Signature]
14/10/26

[Signature]

[Signature]

[Signature]
14/10/26

	- Rs. 300 per hour in a semester. Supporting Staff: - Rs. 250 per evening in a semester when classes are conducted.		
अन्य बिन्दु मा० कुलपति महोदया की अनुमति से			
1	विश्वविद्यालय में शोध कार्य हेतु एवं अन्य महत्वपूर्ण बैठकों एवं विभिन्न कार्यों से बाहर से आने वाले विषय विशेषज्ञों (प्रोफेसर स्तर) को आस-पास के होटलों में ठहरने हेतु 19वीं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दर ₹ 5000 (जी०एस०टी अतिरिक्त) एवं एक समय के भोजन के साथ स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।		प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय की 19वीं वित्त समिति द्वारा पारित निर्णय के क्रम में होटल अवस्थान में एक समय के भोजन (लंच/डिनर) सम्मिलित करते हुये पुनः बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से दरें प्राप्त कर लिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में मा० कुलपति/अध्यक्ष महोदया का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये 28वीं वित्त समिति की बैठक का समापन किया गया।

(बिक्रम सिंह जंतवाल)

वित्त नियंत्रक/सचिव

वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि०

(डॉ शरद प्रधान)

निदेशक,

महिला प्रौद्योगिकी संस्थान

सुद्धौवाला देहरादून

(खजान चंद्र पाण्डे)

अपर सचिव,

वित्त विभाग

(अश्विनी गौड़)

अपर सचिव न्याय,

उत्तराखण्ड शासन

* बिन्दु नं० 28-05, 28-06, 28-10, 28-12 एवं 28-14 के फुटर्स में वकिल लिपनी का संधान मने का अर्थ है।

(डॉ० सौरभ गेहरवार)

अपर सचिव,

चिकित्सा शिक्षा,

उत्तराखण्ड शासन।

(डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा)

सचिव,

तकनीकी शिक्षा

उत्तराखण्ड शासन।

(डॉ० तृप्ता ठाकुर)

कुलपति/अध्यक्ष

वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि०

* सभी पाईट का संधान ले लिजा है।